न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः 81 / 2022 / दावा

सोनी देवी पुत्री मेवाराम जाति बलाई निवासीनी ग्राम धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

—वादिया

बनाम

1 सुरजी देवी पत्नि बालूराम
2 प्रकाश पुत्र बालूराम
3 संतरा पुत्री बालूराम
4 मंजू पुत्री बालूराम
5 तीजू देवी पत्नि रामलाल
6 बजरंगलाल पुत्र रामलाल
7 भंवरी पुत्री रामलाल

} जाति बलाई निवासीगण धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

8 तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटंवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

1. श्री शिवपाल सिंह वकील वादीया की ओर से।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

निर्णय

दिनांक — 10.04.2023

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त कृषि भूमियॉ ख.नं. 537, 538, 540, 541 कुल किता 4 कुल रकबा 1.7300 हैक्टेयर ग्राम धोलासरी प0ह0 धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के तन में अवस्थित है। जिसमें वादिया का 1/3 हक, हिस्सा कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है। वादिया अपने उक्त हक, हिस्से के अनुसार भूमि ख.नं. 537 सम्पूर्ण पर काबिज चली आ रही है। उपरोक्त भूमियों का बाहमी बटंवारा कर वादिया एवं प्रतिवादीगण अलग—अलग काबिज चले आ रहे है। परन्तु अभी तक उपरोक्त भूमियों का पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एवं बाउण्डस बटंवारा नहीं हुआ है, इसलिए खातेदारी संयुक्त रूप से चली आ रही है। बाहमी बटंवारे के अनुसार विधिक बटंवारा करवाने हेतु प्रतिवादीगण को वादिया कई बार निवेदन कर चुकी है परन्तु प्रतिवादीगण बहाने बनाकर समय निकालते रहे है। दिनांक 06.04.202 को वादिया ने प्रतिवादीगण को बाहमी बटंवारे के अनुसार विधिक बटंवारा कराने हेतु जोर देकर कहने पर प्रतिवादीगण विधिक बटंवारा कराने से स्पष्ट इनकार हो गये इसलिए संयुक्त खातेदारी के आधार पर वादिया का वादग्रस्त भूमियों पर काश्त करना दुर्भर हो गया है इसलिए वादग्रस्त भूमियों का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विधिक बटंवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 06.04.2022 को बाहमी बटंवारे के अनुसार विधिक बटंवारा करवाने से स्पष्ट इन्कार हो जाने पर उत्पन्न होकर वाद नियोजन करना आवश्यक हुआ है। अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 537, 538, 540, 541 कुल

किता 4 कुल रकबा 1.7300 हैक्टेयर ग्राम धोलासरी प०ह० धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत् बंटवारा किया जाकर मौके पर कब्जेनुसार व खातेदारी अनुसार अलग से एकांकी रूप से कायम कर अलग अलग खाता कब्जा व लगान एवं सीवं-नींव निर्धारित की जावें। उक्त सम्पदा से वादीगण को बेदखल करने, खुर्द बुर्द करने, बेचान करने, किसी भी प्रकार से हस्तानान्तरण करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादी द्वारा बंटवारा बाबत सहमति प्रकट किये जाने से वाद विवाधक कायम नहीं किये जाकर वकील वादी के निवेदन व सहमति पर वाद को प्रारम्भिक रुप से डिक्री कर तहसीलदार दांतारामगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ। वकील वादी ने प्राप्त बटवारा पर कोई आपत्ति नहीं कर प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी हेतु सहमति जाहीर की। बहस वकील वादी सुनी गयी।

3. वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। पत्रावली एवं बंटवारा प्रस्ताव के समग्र अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद में वादी का बंटवारा अलग करने का दावा प्रस्तुत हुआ है। वकील वादी की सहमति से वाद प्राथमिक रुप से डिक्री किया जाकर मौके का बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्डल विभाजन नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुकूल पाये जाने से उपरोक्त विवेचनानुसार प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में तथ्यात्मक व विधिक दृष्टि से कोई त्रृटि नहीं होने से तथा वकील वादी ने मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार डिकी करने की सहमती से वादी का वाद मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में मुताबिक डिक्री इन्द्राज करे व बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। प्रतिवादीगण स्वयं को मय वारिशान, परिजन, एजेंट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादी को बंटवारे में प्राप्त कृषि आराजियात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने, कृषि कार्य में अवरोध उत्पन्न करने, नींव सींव खुर्द बुर्द करने, पैड पौधे काटने, मौका सुरत में तब्दिली करने से बाज रहे। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे। डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार दांतारामगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/04/23

(प्रतिमा वर्मा IAS)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' – 1)

अजअदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

सोनी देवी बनाम सुरजी देवी

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 81 / दावा सन् 2022 निर्णय दिनांक 10.04.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू प्रतिभा वर्मा आई.ए.एस बहाजरी श्री शिवपालसिंह मिनजानिबमुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि तहसीलदार दांतारामगढ के पत्रांक 2022 / भू0अ0 / 2758 दिनांक 22.11.2022 के द्वारा ग्राम धोलासरी प0ह0 धोलासरी का प्राप्त बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्राप्त होने पर अंतिम डिकी निम्न प्रकार सें जारी की जाती है :–

क. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान रूपये में
1	बालूराम रामलाल पुत्र लादुराम हि. 2/3 सोनी देवी पुत्री मेवाराम हि. 1/3 जाति बलाई सा.देह खातेदार	541	0.09	गै.मु. रा.	
		538 / 2	0.0050	चाही–3	0.10
		537 / 1	0.0450	चाही–3	0.90
		किता 3	0.14		1.00
2	बालूराम रामलाल पुत्र लादुराम जाति बलाई सा.देह खातेदार	540	0.60	बारानी 4	1.20
		538 / 1	0.46	चाही 3	9.20
		किता 2	1.06		10.40
3	सोनी देवी पुत्री मेवाराम जाति बलाई सा. देह खातेदार	537 / 2	0.4650	चाही 3	9.30
		538 / 3	0,650	चाही 3	1.30
		किता 2	0.53		10.60

उपरोक्तानुरार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है डिक्री की पालना में प्रतिवादीगण स्वयं को मय वारिशान, परिजन, एजेंट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादी को बंटवारे में प्राप्त कृषि आराजियात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने, कृषि कार्य में अवरोध उत्पन्न करने, नींव सींव खुर्द बुर्द करने, पैड पौधे काटने, मौका सुरत में तब्दिली करने से बाज रहे। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूल याबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.04.2023 को जारी की गई।

10/04/23

मोहर दस्तखत ओहदा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्पअर्जीदावा	6	00	स्टाम्पवकालतनामा	1	00
स्टाम्पवकालतनामा	1	00	स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत	--	--	मेहनतानावकीलपर ...		
मेहनतानावकील	--	--	खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान	--	--	फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर	--	--	बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा	--	--	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

10/04/23

(प्रतिमा वर्मा IAS)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

नोट: दिनाक 20-04-2023 को वकील गढ़ीया का आवेदन 152 CPC स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय का निर्णय दिनांक 10-04-23 में क्र.सं. 3 मे ख.नं. 538/3 रकबा 0.650 के स्थान पर रकबा 0.0650 पढा जावे।

20/04/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 81 / 2022 / दावा

सोनी देवी पुत्री मेवाराम जाति बलाई निवासीनी ग्राम धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

–वादिया

बनाम

1 सुरजी देवी पत्नि बालूराम
2 प्रकाश पुत्र बालूराम
3 संतरा पुत्री बालूराम
4 मंजू पुत्री बालूराम
5 तीजू देवी पत्नि रामलाल
6 बजरंगलाल पुत्र रामलाल
7 भंवरी पुत्री रामलाल

} जाति बलाई निवासीगण धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

8 तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटंवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति–

1. श्री शिवपाल सिंह वकील वादीया की ओर से।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।